IV ADDITIONAL SESSIONS JUDGE ★ BHOPAL (M.P.) ★

न्यायालय–चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल म.प्र.

(पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार जैन)

B.A. /1930/2026	
आवेदक / अभियुक्त	हमूद पुत्र हम्माद अहमद सिद्दकी, उम्र–57 वर्ष, नि.– 1371, मुहेरी मोहल्ला, महू, जिला इंदौर, म.प्र.।
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री मेहबूब अंसारी अधिवक्ता।
: : विरूद्ध : :	
अनावेदक / अभियोगी	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना शाहजहांनाबाद, जिला भोपाल, म.प्र.।
द्वारा प्रतिनिधित्व	ए.जी.पी. श्री अजय सिंह चौहान
थाने का नाम	थाना शाहजहांनाबाद, भोपाल (म.प्र.)
अपराध कमांक	570 / 1999
अपराध धारा	420, 467, 468, 471, 109, 113, 114, 120बी, 406 भा.दं.सं.
अपराध दिनांक	07.12.1999 से पूर्व
एफआईआर दिनांक	07.12.1999
गिरफतारी दिनांक	20.01.2026
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	29.01.2014
आपराधिक रिकार्ड	**तालिका अनुसार वर्णित**
सत्र प्रकरण कं. (यदि कोई हो)	–
:: आदेश ::	
(आज दिनांक 18.06.2026 को पारित)	

IV ADDITIONAL SESSI

इस आदेश द्वारा अभियुक्त **हमूद सिद्दकी** की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. 2023 का निराकरण किया जा रहा है।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को **प्रथम नियमित जमानत** आवेदन पत्र होना एवं अन्य नियमित जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित होना अथवा निराकृत न होना लेख किया गया है। उक्त आवेदन के समर्थन में अभियुक्त के रिश्तेदार मोहम्मद आलम अनवर का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभिलेख में उक्त अभियुक्त का अन्य कोई नियमित जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में लंबित होने या निराकृत होने का उल्लेख नहीं है और न ही कोई आदेश संलग्न है, अतः शपथ पत्र और अभिलेख से मैं, इस जमानत आवेदन पत्र को अभियुक्त का **प्रथम नियमित जमानत** आवेदन पत्र होना पाता हूँ।

संबंधित न्यायालय से नियमित आपराधिक प्रकरण कमांक 4100114/2004 का मूल अभिलेख प्राप्त।

उभयपक्ष को जमानत आवेदन पर सुना गया।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन सारतः इस प्रकार है कि, संबंधित न्यायालय द्वारा अपने

JUDGE
BHOPAL (M.P.)

न्यायालय में लंबित प्रकरण आर.सी.टी. 114/2004 मप्र. राज्य वि. एफ एफ जमा व अन्य में प्रोडक्शन वारंट जारी कर महू जेल जिला इंदौर से तलब कर दि. 20.01.2026 को न्यायालय में पेश करने पर उसी दिनांक को आवेदक पर आरोप विचारित कर प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत कर अभियुक्त को न्यायिक निरोध में वापिस इंदौर भेज दिया। दि. 20.01.2026 को ही उसे पता चला कि थाना शाहजहांनाबाद भोपाल में दर्ज अप.कं. 570/19 में उसे अन्य आरोपीगण के साथ आरोपी बनाया गया है।

आवेदक निर्दोष है, केवल अफवाहों एवं भ्रामक स्थितियों उत्पन्न होने के कारण प्रकरण दर्ज कराया गया है, जबकि कंपनी द्वारा विधिक रूप से कार्य किया गया तथा विधि अनुरूप भुगतान भी किया गया एवं भविष्य में विधि अनुसार भुगतान किया जावेगा। आवेदक को केवल प्रबंधक होने के कारण अभियुक्त बनाया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण में आवेदक पर आरोप विचारित किये जाने के लगभग छः माह बाद भी साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी है। प्रकरण के सहआरोपी शाहाबुद्दीन को माननीय मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एमसीआरसी 8958/99 एवं एफ.एफ. जमा को एम.सी.आर.सी. कं. 8968/99 में पारित आदेश दिनांकित 22.03.2000 के द्वारा जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

ADDITIONAL SE

इसी प्रकार प्रकरण के अन्य सहआरोपीगण सउद अहमद को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल (श्री जगदीश बाहेती) द्वारा बी.ए. 2850/2001 में पारित आदेश दिनांकित 31.10.2001 द्वारा तथा निजाम अली खां दुर्रानी को नवम् अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल (श्री संजीव कालगांवकर) द्वारा बीए नंबर 3248/11 में पारित आदेश दिनांकित 01.10.2011 के द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक का प्रकरण जमानत प्राप्त सह आरोपीगण से भिन्न नहीं है अतः आवेदक समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है। आरोपी के जेल में रहने के कारण उसके परिवार पर अर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। वह इंदौर जिले का मूल निवासी है, इस कारण जमानत उपरांत उसके फरार होने की संभावना नहीं है। वह जमानत की सभी शर्तो का पालन करने हेतु तत्पर हे। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपर लोक अभियोजक के द्वारा मामला 25 वर्ष से अधिक पुराना अभियुक्त के लंबे समय तक फरार होने के आधार पर आवेदन का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अभियोजन के मामले अनुसार फरियादी जुनैद कुरैशी ने अलफहद फिनकॉम ग्रुप एंड कंपनी की ताज

SESSIONS JUDGE
★ BHOPAL (M.P.) ★

मॉर्केट भोपाल स्थित में 54,000/– रूपये जमा किये थे। ये पैसा उन्होंने अपनी बीमारी के लिये सेवा के तौर पर जमा किये थे। जरूरत पडने पर उन्होंने कंपनी से पैसा निकालने के लिये आवेदनपत्र भी दिया था, किंतु उन्हें उक्त रूपये वापस नहीं मिले। उसके पिता ने उक्त पैसा उसकी मां सरवरी बेगम के नाम से जमा किये थे। उसके नाम पर भी 18,000/– रूपये की तीन एफ.डी. है। उसने भी अल फहद से पैसे निकालने के लिये आवेदन पत्र दिया था। अल फहद वालों ने उन्हें पैसा जमा करने के लिये प्रोत्साहित करते हुये कहा था कि 33 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, जो हराम नहीं होगा। उसे दुष्प्रेरित करके पैसा करवाने वाले अलफहद कंपनी के हमूद अहमद सिददकी रिटायर्ड कर्नल एफ. एफ. जमा एजेंट जेबा व अन्य ने यह भी कहा था कि शादी–ब्याह के टाइम पैसा निकवाया जा सकता है। कंपनी वाले ने न तो उहें कभी बैलेंस शीट दिखाई और न ही किसी मीटिंग में उन्हें बुलाया। इनका कहना था कि पैसा शेयर्स में तब्दील कर रहे हैं परंतु इन्होंने उनसे इस संबंध में कोई परमिशन नहीं ली।

दिनांक 15.06.1999 को उसकी एफ. डी. परिपक्व हो गई थी, परंतु इन्होंने उनका पैसा नहीं लौटाया। उसने दिनांक 15.06.98 को 75,000/– एक वर्ष के लिये जमा किया था। ऐसा ज्ञात हुआ कि कंपनी के कुछ पदाधिकारी आम जनता द्वारा जमा की गई राशि एकत्र कर उक्त

IV ADDITIONAL SP

कंपनी बंद करने जा रहे हैं। इसके बाद उन्हें पता चला कि कंपनी द्वारा अन्य लोगों का भी पैसा इस तरह हड़प लिया गया है।

फरियादी द्वारा उक्त घटना के संबंध में लिखित आवेदनपत्र थाने पर दिया, जिसके आधार पर आरक्षी केंद्र शाहजहांनाबाद, भोपाल में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 570/1999 के अंतर्गत भा.दं.सं. की धारा 420, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471, 109, 113, 114, 406, 120बी के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

बचाव पक्ष अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि आवेदक को कभी भी इस प्रकरण की जानकारी नहीं हुई और प्रोडक्शन वारंट से न्यायालय में उपस्थित होने पर उसे इस प्रकरण की जानकारी हुई है तथा अन्य अभियुक्तगण को माननीय उच्च न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायालय से जमानत प्राप्त हो चुकी है तथा आवेदक का प्रकरण उक्त अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार विगत 05 माह से प्रकरण में कोई साक्ष्य भी नहीं हुई है, अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि प्रकरण के अन्य अभियुक्तण को माननीय उच्च न्यायालय एवं अपर सत्र

SESSIONS JUDGE
BHOPAL (M.P.)

न्यायालय द्वारा नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया गया है, तथापि अभियोजन के मामले अनुसार उक्त संस्था के अन्य अभियुक्तगण उक्त संस्था के तत्कालीन कर्मचारी है, जबकि तत्समय अभियुक्त अल फहद फिनकॉप लि. संस्था का मुख्य प्रबंधक था, इस कारण आवेदक इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त है।

इसी प्रकार प्रश्नगत घटना वर्ष 1999 में होना बताई गई है तथा जमानत पर रिहा अभियुक्तगण लगभग 20–25 वर्ष पूर्व से प्रकरण में उपस्थित होकर विचारण का सामना कर रहे है, जबकि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त विगत 05 माह से ही उपस्थित हुआ है, इस कारण वर्तमान आवेदक एवं अन्य सहअभियुक्तगण का मामला समान न होकर भिन्न है। इसी प्रकार अभियोजन के मामले व स्वयं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अनुसार अभियुक्त तत्समय उक्त संस्था का मुख्य प्रबंधक होकर अन्य अभियुक्तगण उक्त संस्था के कर्मचारी थे, ऐसी स्थिति में उसे विगत लगभग 25 वर्षो से इस प्रकरण की जानकारी न होना विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है।

इसी प्रकार स्वयं आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र एवं अभिलेख में संलग्न सबजेल डॉ. अंबेडकर नगर, महू जिला इंदौर द्वारा प्रस्तुत जानकारी क्रं. 3129/वारंट दि. 13.12.2025 अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त पूर्व से <u>छल, धोखाधडी, कूटरचना</u>

IV ADDITIONAL SESSI ★ B

व आपराधिक न्यासभंग संबंधी निम्न आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं –

कं.	अप.कं.	धारा
1	344 / 1988	147,148,149,452,307,353,332,188 भा.दं.सं.
2	634 / 1989	295,34 भा.दं.सं.
3	188 / 2000	420,406 भा.दं.सं.
4	213 / 2000	420,406 भा.दं.सं.
5	253 / 2000	420,406 भा.दं.सं.
6	38 / 2000	420,406 भा.दं.सं.
7	1235 / 2001	420,406,467,468 भा.दं.सं.

इसी प्रकार अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि प्रकरण में लगभग 15 अभियुक्त अभी भी फरार हैं तथा वर्तमान आवेदक प्रकरण में दिनांक 21.05.2014 अर्थात् विगत लगभग 12 वर्षों से फरार था और अन्य प्रकरण में अभिरक्षा में रहने के कारण प्रकरण में उपस्थित हुआ है तथा सब जेल से प्राप्त उक्त जानकारी अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त तालिका अनुसार 25 वर्ष से अधिक पूर्व से पंजीबद्ध प्रकरण आज भी विचाराधीन हैं।

चूंकि अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471, 109, 113, 114, 406 व 120बी के तहत आरोप विरचित किये गये हैं, जो कि आम नागरिक द्वारा जमा की गई राशि को हड़पने संबंधी आरोप होकर गंभीर प्रकृति के हैं। अतः प्रकरण के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों

एवं अपराध की गंभीरता व अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख के संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर आदेश विधिवत अपलोड किया जाकर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

18/06/26

Sandeep Kumar Jain
IV ASJ BHOPAL